रजिस्ट्री सं० डी- 222 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 42] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 20, 1973 (अश्विन 28, 1895)
No. 42] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 20, 1973 (ASVINA 28, 1895)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 28 फरवरी 1973 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 28th February 1973 :—

अंक Issue	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject

—शून्य—
—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . .	889
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1659
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	149
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं .	1197
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . .	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट . .	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं।) . .	2021
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . .	3561
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश .	321
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं .	4589
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	513
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . . .	1791
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें .	193
पूरक संख्या 42—	
13 अक्टूबर, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट .	1327
22 सितम्बर 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु-सम्बन्धी आंकड़े .	1343

CONTENTS

	Page
PART I—SECTION 1.—Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	889
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1659
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	149
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence.	1197
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB.SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories ..	2021
PART II.—SECTION 3.—SUB.SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	3561
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence ..	321
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	4589
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta ..	513
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1791
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	193
SUPPLEMENT No. 42	
Weekly Epidemiological Reports for week ending 13th October 1973	1327
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 2 September 1973	1343

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notification relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मंत्रिमंडल सचिवालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 अक्तूबर 1973

नियम

सं० फा० 10/21/71-के० से० (II)—भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सिविल सेवाएं तथा पद (श्रेणी III तथा IV में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1971 के नियम 4 में दिये गये उपबन्धों के अनुसरण में भूतपूर्व सैनिकों का उनके लिये रेलवे बोर्ड सचिवालय के आशुलिपिक सेवा-ग्रेड II (उक्त ग्रेड की चयन सूची में शामिल करने के लिए) में आरक्षित अस्थायी रिक्तियों को भरने के प्रयोजन हेतु चयन करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1974 में ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किये जाते हैं। उपयुक्त भूतपूर्व सैनिक (केन्द्रीय सेवाएं तथा पद श्रेणी III तथा श्रेणी IV में रिक्तियों का आरक्षण) नियम, 1971, 1 जुलाई, 1974 से प्रभावी नहीं रहेगा जब तक कि सरकार द्वारा यह अवधि बढ़ा न दी जाए।

2. इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी किये गये नोटिस में बता दी जायगी।

भारत सरकार के निश्चय के अनुसार निर्धारित अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए पद आरक्षित रख जायेंगे।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों का अर्थ है, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (भाग ग राज्य) आदेश, 1951, जैसा कि बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां (संशोधन) आदेश, 1956 द्वारा संशोधित है। संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956 संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1959, संविधान (दादर व नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (दादर और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962 और संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968, संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1968 और संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित आदिम जातियां, आदेश, 1970।

3. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट I में विहित विधि से किया जाएगा।

परीक्षा की तारीखें और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किये जायेंगे।

4. इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन सभी भूतपूर्व सैनिक इस परीक्षा में बैठ सकेंगे।

टिप्पणी—इन नियमों के प्रयोजन के लिए "भूतपूर्व सैनिक" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो संघ की सशस्त्र सेनाओं (अर्थात् संघ की जल, थल तथा वायु सेनाएं) जिनमें असम राइफल्स, रक्षा सुरक्षा निकाय, सामान्य रिजर्व इंजीनियरी सेना, तथा कश्मीर मिलिशिया, लोक सहायक सेना तथा प्रादेशिक सेना को छोड़कर भूतपूर्व भारतीय राज्यों की सशस्त्र सेनाएं भी सम्मिलित हैं, किसी पद पर (लड़ाई से संबंधित या उनसे भिन्न) अभिप्रमाणन के बाद 3 दिसम्बर, 1973 को कम से कम लगातार छह महीने तक सेवा कर चुका है और,

(1) जो निर्मुक्त कर दिया गया हो, लेकिन कदाचार अथवा अदक्षता के कारण बर्खास्त अथवा अपदस्थ न किया गया हो, अथवा इस प्रकार निर्मुक्त न होने तक के लिए रिजर्व में ट्रान्सफर कर दिया गया हो, अथवा

(2) जिसे निर्मुक्त होने का हकदार होने के लिए या जैसा ऊपर कहा गया है, रिजर्व में ट्रान्सफर किये जा सकने के लिए अपेक्षित सेवा की अवधि पूरी करने के हेतु 3 दिसम्बर, 1973 से छः मास से अधिक की सेवा न करनी हो।

5. (1) यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से पहली जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आ गया हो, या

(च) भारतीय मूल का ऐसा व्यक्ति हो जो भारत में अस्थायी रूप से बसने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, लंका और केन्या, उगान्डा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया

(भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) के इन पूर्वी देशों से प्रव्रजित हुआ हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) वर्गों से सम्बन्धित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया प्रात्रता प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

परन्तु वर्ग (च) से सम्बन्धित उम्मीदवारों के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा। यदि ऊपर की (च) श्रणी के गैर-नागरिक, जो संविधान लागू होने की तारीख, अर्थात 26 जनवरी 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आए और तब से लगातार उस सेवा में काम कर रहे हैं। परन्तु जो सेवा भंग करके 26 जनवरी, 1950 के बाद उस सेवा में फिर आया हो या फिर आए, उसके लिए सामान्य रूप से पात्रता प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक होगा।

(2) जिस उम्मीदवार के लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक है, यदि सरकार उसे आवश्यक प्रमाण-पत्र दे दे तो उसे परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है और अंतिम रूप में उसकी नियुक्ति भी की जा सकती है।

6. (क) उम्मीदवार की आयु 1 जनवरी, 1974 को 18 वर्ष होनी चाहिए तथा सशस्त्र सेनाओं में उसकी कुल सेवा में 3 वर्ष जोड़ने से उसकी आयु 25 वर्ष से अधिक न हो।

टिप्पणी—उपरोक्त नियम 6 (क) के प्रयोजन के लिए सशस्त्र सेनाओं के किसी भूतपूर्व सैनिक की "काल अप सर्विस" की अवधि को सशस्त्र सेवाओं में की गई सेवा मानी जायगी।

(ख) ऊपर के सभी मामलों में ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और छूट दी जायगी :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(ii) यदि उम्मीदवार पहले पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले या उसके बाद प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(iii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा पहले के पूर्वी पाकिस्तान से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले या उसके बाद प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(iv) यदि उम्मीदवार संघ राज्य-क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फ्रेंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(v) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद में लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(vi) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति का अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तो श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति भी हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद लंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(vii) यदि उम्मीदवार संघ राज्य-क्षेत्र गोवा, दमन और दीव का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(viii) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टंगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(ix) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(x) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो और बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति भी हो और पहली जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजित हुआ हो, तो अधिक से अधिक आठ वर्ष तक,

(xi) किसी दूसरे देश से झगड़ों के दौरान अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्यवाहियों के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त रक्षा-सेवा-कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक तीन वर्ष तक, और

(xii) किसी दूसरे देश से संघर्ष के समय अथवा किसी उपद्रवग्रस्त इलाके में फौजी कार्यवाही के समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा सेवा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के सम्बन्धित हो, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

7. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में दो बार से अधिक बैठने की अनुमति नहीं दी जायगी। यह प्रतिबन्ध सन् 1969 में हुई परीक्षा से लागू होगा।

8. यह आवश्यक है कि उम्मीदवारों ने नीचे लिखी परीक्षाओं में से कोई एक पास की हो या उसके पास निम्नलिखित में से कोई एक प्रमाण पत्र हो :—

(i) भारत के केन्द्रीय या राज्य विधान मंडल के किसी

अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा,

(ii) किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अन्त में स्कूल लीविंग सैकण्डरी स्कूल, हाई स्कूल या ऐसे किसी और प्रमाण-पत्र के लिये ली गई परीक्षा जिसे वह राज्य सरकार नौकरी में प्रवेश के लिये समकक्ष मानती हो।

(iii) कैम्ब्रिज स्कूल प्रमाण-पत्र परीक्षा (सीनियर कैम्ब्रिज),

(iv) राज्य सरकारों द्वारा ली गई यूरोपीय हाई स्कूल परीक्षा,

(v) अरबिन्द इन्टरनेशनल सेन्टर आफ एजुकेशन पांडिचेरी की उच्चतर माध्यमिक पाठ्यचर्या की दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र,

(vi) दिल्ली पौलीटेकनिक में तकनीकी हायर सेकेंडरी स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र,

(vii) मान्यताप्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूल/मल्टी-पर्पज स्कूल द्वारा ली गई वह परीक्षा जो कि अंतिम वर्ष से एक वर्ष पूर्व/मल्टीपर्पज कोर्स (जिस से कोई उम्मीदवार तीन वर्षीय डिग्री कोर्स में प्रवेश पा सकता है),

(viii) इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार करने वाले किसी मान्यताप्राप्त स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाण-पत्र,

(ix) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली की जूनियर परीक्षा, केवल जामिया के वास्तविक आवासी छात्रों के लिए,

(x) बंगाल (साइंस) स्कूल सर्टिफिकेट,

(xi) नेशनल काउन्सिल आफ एजूकेशन, जादवपुर, पश्चिमी बंगाल की (शुरू से लेकर) फाइनल स्कूल स्टैंडर्ड परीक्षा,

(xii) पांडिचेरी की नीचे लिखी फ्रेंच परीक्षाएं :—
(i) ब्रीवे एलिमेंतेय, (ii) ब्रीवे द एसीमा प्रीमियेद लागु इंदियेन, (iii) ब्रीये दे येत्युद्यू प्रीमीयेर सिकल, (iv) ब्रीवे द एंसीमा प्रेमीयर सुपीरियेर द लांग, इंदियेन और (v) ब्रीवे दे लांग इंदियेन (बर्नाकूलर),

(xiii) इंडियन आर्मी स्पेशल सर्टिफिकेट आफ एजूकेशन,

(xiv) भारतीय नौसेना का हायर एजूकेशन टैस्ट,

(xv) एडवांस क्लास (भारतीय नौसेना) परीक्षा,

(xvi) सीलोन सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट), परीक्षा,

(xvii) ईस्ट बंगाल सेकेंडरी एजूकेशन बोर्ड, ढाका द्वारा दिया गया प्रमाण-पत्र,

(xviii) (क) भूतपूर्व पाकिस्तान में कोमिला, राजशाही खुलना स्थित सेकेंडरी एजूकेशन बोर्ड द्वारा दिये गये सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट,

(ख) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान के बोर्ड आफ इंटरमीडियेट तथा सेकेंडरी एजुकेशन, जैसोर द्वारा दिया गया सेकेंडरी स्कूल प्रामाण पत्र,

(xix) नेपाल सरकार की स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट परीक्षा,

(xx) एंग्लोबर्नाकूलर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (बर्मा),

(xxi) बर्मा हाई स्कूल फाईनल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट,

(xxii) शिक्षा विभाग, बर्मा (युद्ध-पूर्व) की एंग्लोवर्नाकूलर हाई स्कूल परीक्षा,

(xxiii) बर्मा का पोस्ट-आर स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट,

(xxiv) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद की "विनीत" परीक्षा,

(xxv) गोवा, दमन और दीव की पूर्तगाली परीक्षा "लाइ सियूम" के पांचवें वर्ष में पास,

(xxvi) "सामान्य स्तर पर श्रीलंका (भूतर्व सीलोन के नाम से ज्ञात) की जनरल सर्टिफिकेट आफ एजूकेशन नामक परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी तथा गणित और सिंहली या तमिल सहित पांच विषयों में पास की गई हो,

(xxvii) 'सामान्य' स्तर पर लंदन के एसोसियेटेड एग्जामिनेशन बोर्डस की जनरल सर्टिफिकेट आफ एजूकेशन परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी सहित पांच विषयों में पास की गई हो।

(xxviii) किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई जूनियर/सेकेंडरी तकनीकी स्कूल परीक्षा,

(xxix) पूर्व मध्यमा (अंग्रेजी सहित) अथवा प्राचीन खंड, मध्यमा (प्रथम दो वर्ष का कोर्स) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की विशेष परीक्षा जिनमें अतिरिक्त विषयों में अंग्रेजी एक विषय हो और

(xxx) इसकोला इंडस्ट्रीज कमर्शियल डी गोवा, पणजी जोकि पुर्तगाली के अधीन गोवा, दमन और दियु की आजादी से पूर्व स्थापित किया गया द्वारा दिया गया कार्शज कुरसो डी फरमार्का डी सिस्त्राथिरयों (लुहारी कोर्स सर्टिफिकेट और काटी डी फससो डी मोटाडार इलस्ट्रक्सरा विद्युत कोर्स) का प्रमाण-पत्र,

(xxxi) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान में बोर्ड आफ इंटरमीडिएट तथा सेकेंडरी एजूकेशन, जैस्सोर द्वारा प्रदत्त सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट,

(XXXII) पंजाब विश्वविद्यालय की हायर सेकेंडरी (कोर सबजेक्ट्स) परीक्षा ।

टिप्पणी—1 यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा दे चुका हो, जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, लेकिन उसके परिणाम की सूचना उसे नहीं मिली हो तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिये आवेदन-पत्र भेज सकता है । जो उम्मीदवार उक्त किसी अर्हक (क्वालीफाइंग) परीक्षा में बैठना चाहते हों वे भी आवेदन पत्र दे सकते हैं बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरु होने से पहले हो जाय । ऐसे उम्मीदवार यदि अन्य शर्तें पूरा करता हो तो उन्हें परीक्षा में बैठने दिया जायगा किंतु परीक्षा में बैठने की अनुमति अंतिम होगी और यदि वे उक्त परीक्षा पास करने का का प्रमाण पत्र जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के शुरु होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द कर दी जा सकेगी ।

टिप्पणी—2 किन्हीं आपवादिक मामलों में, किसी ऐसे उम्मीदवार को जिस के पास नियम में निर्धारित कोई उपाधि नहीं है, आयोग अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार मान सकता है बशर्ते कि उसके पास अर्हतायें हों जिनका स्तर, आयोग की राय में, परीक्षा-प्रवेश के लिये न्यायोचित है ।

9. ऐसा कोई व्यक्ति—

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह कर लिया हो या विवाह का करार किया हो जिसकी पत्नी/पति जीवित हो, अथवा

(ख) जिसने अपनी पत्नी/पति के जीवित रहते ऐसे किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का करार किया हो,

उक्त पद पर नियुक्ति के योग्य नहीं होगा ।

किंतु केंद्रीय सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट हो जाये कि ऐसे व्यक्ति पर और विवाह सूत्र के अन्य पक्ष पर लागू होने वाले वैयक्तिक कानून के अन्तर्गत ऐसे विवाह की अनुमति दी जा सकती है, और ऐसा करने के अन्य कारण भी हों तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम से छूट दे सकती है ।

10. सरकारी सेवा में सभी उम्मीदवारों को चाहे वे स्थायी पद पर हों अथवा अस्थायी पद पर अथवा कार्य प्रभारित कर्मचारी हों, व नैमित्तिक (कैजुबल) अथवा दिहाड़ी वाले कर्मचारियों को छोड़ कर, परीक्षा में बैठने के लिये विभाग के अध्यक्ष की पूर्व-अनुमति प्राप्त करनी होगी।

11. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिये और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए, जो सेवा के अधिकारी के रूप में अपने कर्त्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जायगी । केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जायगी जिन पर नियुक्ति के संबंध में विचार किये जाने की संभावना हो ।

टिप्पणी :—अशक्त भूतपूर्व रक्षा, कार्मिकों के संबंध में रक्षा सेवा के डीमोबीलाइजेशन मेडिकल बोर्ड द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाणपत्र नियुक्ति के लिये पर्याप्त समझा जायगा ।

12. परीक्षा में बैठने के लिये उम्मीदवार को पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

13. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जायगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो ।

14. यदि कोई उम्मीदवार किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो वह परीक्षा में बैठने के लिये अयोग्य घोषित किया जाय ।

15. यदि कोई उम्मीदवार आयोग द्वारा इस बात के लिये घोषित किया जाय या कर दिया गया हो कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रमाण पत्र आदि पेश किये हैं या ऐसे प्रमाण पत्र पेश किये हैं जिनमें कोई हेरा-फेरी की गई है या गलत या झूठे वक्तव्य दिये हैं या कोई महत्वपूर्ण तथ्य छिपाया गया है या परीक्षा में प्रवेश प्राप्त करने के लिये किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों से काम लिया है या काम लेने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में कोई अनुचित आचरण किया है तो उस तर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनिल प्रोसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और साथ ही :—

(क) उसे हमेशा के लिये या किसी विशेष अवधि के लिये

(i) आयोग उम्मीदवार के चुनाव के लिये ली जाने वाली अपनी किसी परीक्षा या इन्टरव्यु में उसे शामिल होने से रोक सकता है, और

(ii) केंद्रीय सरकार अपने अधीन नियुक्त होने से उसे रोक सकती है

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में नियुक्त हो तो उसके खिलाफ उपयुक्त नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

16. परीक्षा के बाद उम्मीदवारों को योग्यता क्रम से प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप में मिले कुल अंकों के क्रमानुसार रखा जायगा और उस क्रम में आयोग जितने उम्मीदवारों को परीक्षा द्वारा अर्हता प्राप्त समझेगा उन्हें रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के ग्रेड II की प्रवर सूची में सम्मिलित करने के लिए तथा परीक्षा के परिणामों के आधार पर भरी जाने वाली उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को पूरी तरह ध्यान में रखते हुए सिफारिश करेगा ।

लेकिन शर्त यह है कि यदि सामान्य स्तर के आधार पर अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों के लिय आरक्षित

पद नहीं भरे जा सकते हैं तो आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिए स्तर में छूट देकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों को नियुक्त करने के लिये सेवा के रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड II की प्रवर सूची में लिये जाने के लिये योग्य होने पर, परीक्षा की योग्यता सूची में उनके रैंक को ध्यान में रखे बिना ही आयोग द्वारा सिफारिश की जा सकती है।

17. यदि परीक्षा के परिणाम के आधार पर भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों को भरने के लिये पर्याप्त संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवार उपलब्ध न हो तो न भरे गये खाली पद सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित की जाने वाली पद्धति से भरें जायेंगे।

18. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाय, इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परिणामो के बारे में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

19. परीक्षा में पास हो जाने मात्र से ही नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता। इसके लिये आवश्यक है कि सरकार आवश्यकतानुसार जाँच करके इस बात से संतुष्ट हो जाय कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिये हर प्रकार से उपयुक्त है।

20. जिन सेवा/पदों के लिये इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है उनका संक्षिप्त ब्यौरा परिशिष्ट II में दिया गया है।

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव

परिशिष्ट-1

1. प्रतियोगिता-परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(क) दो विषयों में लिखित परीक्षा जैसा कि नीचे के पैरा 2 में दिया गया है जिसके पूर्णांक 200 होंगे।

(ख) जैसा कि नीचे दी गई अनुसूची के पैरा 2 तथा भाग ख में दर्शाया गया है, लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों के लिये आशुलिपि परीक्षाएं जिनके पूर्णांक 300 होंगे।

2. लिखित परीक्षा के विषय तथा प्रत्येक विषय के लिये दिया गया समय तथा पूर्णांक इस प्रकार होंगे।

भाग क—लिखित परीक्षा

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
1. अंग्रेजी	3 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	3 घंटे	100

भाग ख—आशुलिपि परीक्षा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में उनके लिये होगी जो लिखित परीक्षा में पास होंगे। 300 अंक

टिप्पणी:—उम्मीदवारों को अपने आशुलिपि नोट, टाइप करने होंगे और उनके लिये उन्हें अपनी-अपनी टाइप मशीनें लानी होंगी।

3. लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि परीक्षा योजना का पायठ् विवरण परिशिष्ट में दी गई अनुसूची में दिए अनुसार होगा और लिखित परीक्षा के लिये प्रश्न-पत्र वही होंगे जो साथ-साथ होने वाली नियमित आशुलिपिक परीक्षा की योजना में इन विषयों के लिये होंगे।

4. उम्मीदवार लिखित परीक्षा के सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र (II) का उत्तर हिन्दी देवनागरी या अंग्रेजी में लिखने का विकल्प ले सकते हैं। यह विकल्प पूर्ण प्रश्न के लिये लागू होगा न कि उस में किसी भाग के लिये।

जो उम्मीदवार पूर्वोक्त प्रश्न पत्र हिन्दी देवनागरी में लिखने का विकल्प लेंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षाओं में भी केवल हिन्दी देवनागरी में लिखना होगा और जो उम्मीदवार पूर्वोक्त प्रश्न पत्र अंग्रेजी में लिखने का विकल्प लेंगे उन्हें आशुलिपि की परीक्षाओं में भी केवल अंग्रेजी में लिखना होगा।

टिप्पणी:—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान का (II) प्रश्न पत्र का उत्तर तथा आशुलिपि की परीक्षाओं में हिन्दी के इच्छुक हों तो यह विकल्प आवेदन पत्र के कालम 10 में लिखें। अन्यथा यह माना जायेगा कि उम्मीदवार लिखित परीक्षा तथा आशुलिपि की परीक्षाओं में अंग्रेजी में लिखेंगे।

एक बार का विकल्प अंतिम समझा जाएगा और उक्त कालम में कोई परिवर्तन करने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायगा।

5. लिखित परीक्षा का अंग्रेजी प्रश्न पत्र (I) का उत्तर सभी उम्मीदवारों द्वारा अंग्रेजी में देना अनिवार्य है।

6. जो उम्मीदवार 120 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में न्यूनतम योग्यता प्राप्त कर लेंगे उन्हें 100 शब्द प्रति मिनट वाले डिक्टेशन में वही स्तर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों से ऊपर रखा जायेगा (प्रत्येक वर्ग में उम्मीदवारों को, प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गये कुल अंकों के अनुसार उनके गुणक्रम से परस्पर व्यवस्थित किया जायगा)।

7. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिये अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित करेगा।

9. केवल उन्होंने उम्मीदवारों को आशुलिपि परीक्षा के लिये बुलाया जाएगा जो आयोग के द्वारा अपने विवेकानुसार नियत किए गए न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेंगे।

10. केवल सतही ज्ञान के लिये कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

11. अस्पष्ट लिखावट के कारण, लिखित विषयों के अधिकतम अंको में से 5 प्रतिशत तक अंक काट लिये जाएंगे।

12. परीक्षा के सभी विषयों में इस बात का विशेष लिहाज रखा जाएगा कि भाषा अभिव्यक्ति आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक-ठीक की गई है।

अनुसूची

भाग-क

परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण

टिप्पणी:—प्रश्न पत्रों का उत्तर लगभग वही होगा जो किसी भारतीय विश्वविद्यालय की मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होता है।

अंग्रेजी:— यह प्रश्न-पत्र इस रूप में तैयार किया जाएगा जिसमें उम्मीदवारों के अंग्रेजी व्याकरण और निबन्ध रचना के ज्ञान की तथा अंग्रेजी भाषा को समझने और शुद्ध लिखने की उनकी योग्यता की जांच हो जाए। अंक देते समय वाक्यविन्यास, सामान्य अभिव्यक्ति और भाषा-कौशल को ध्यान में रखा जाएगा। इस प्रश्न-पत्र में निबन्ध-लेखन, सार-लेखन, मसौदा-लेखन, शब्दों का शुद्ध प्रयोग, आसान मुहावरों और पूर्वसर्ग (प्रोपोजिशन, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य) आदि शामिल किए जा सकते हैं।

सामान्य-ज्ञान:-निम्नलिखित विषयों की थोड़ी बहुत जानकारी:

भारत का संविधान, पंचवर्षीय योजनाएं, भारतीय इतिहास और संस्कृति, भारत का सामान्य और आर्थिक भूगोल, सामयिक घटनाएं, सामान्य विज्ञान तथा दिन प्रतिदिन नजर आने वाली ऐसी बातें जिनकी जानकारी पढ़े लिखे व्यक्ति को होनी चाहिये। उम्मीदवारों के उत्तरों से यह प्रकट होना चाहिये कि उन्होंने प्रश्नों को अच्छी तरह समझा है। उनके उत्तरों में किसी पाठ्यक्रम पुस्तक के ब्यौरेवार ज्ञान की अपेक्षा नहीं की जाती है।

भाग-ख

आशुलिपि परीक्षाओं की योजना

अंग्रेजी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन-परीक्षाएं होंगी। एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिये और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिये जो उम्मीदवारों को क्रमशः 45 तथा 50 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे। हिन्दी में आशुलिपि की परीक्षाओं में दो डिक्टेशन परीक्षाएं होंगी एक 120 शब्द प्रति मिनट की गति से सात मिनट के लिये और दूसरी 100 शब्द प्रति मिनट की गति से दस मिनट के लिये जो उम्मीदवारों को क्रमशः 60 और 65 मिनटों में लिप्यंतर करने होंगे।

परिशिष्ट-II

रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा से संबंधित संक्षिप्त विवरण।

(क) (1) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा के इस समय निम्नलिखित चार ग्रेड हैं :—

चयन ग्रेड : रु० 350-25-500-30-590-द० रो० 30-800 द० रो० 30-830-35-900 (ग्रेड से पदोन्नत व्यक्तियों को इस वेतनमान में 500 रु० न्यूनतम वेतन दिया जाता है।)

ग्रेड-I: रु० 350-25-650-द० रो० 30-770।
(ग्रेड II से पदोन्नत व्यक्तियों को 400 रु० न्यूनतम वेतन दिया जाता है।)

ग्रेड-II रु० 210-10-270-15-300-द० रो० 15-450-द० रो०-20-530।

ग्रेड-III : रु० 130-5-160-8-200 द० रो० 8-256-द० रो०-8-280।

(II) इस सेवा के ग्रेड II में भर्त्ती किये गये व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर होंगे। इस अवधि में उन्हें ऐसा कोई प्रशिक्षण लेना अथवा ऐसी कोई परीक्षा पास करना अपेक्षित हो सकता है जिसे सरकार द्वारा विहित किया जाए। परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर यदि उनमें से किसी का कार्य अथवा आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक पाया जाए तो उसे सेवा से बर्खास्त किया जा सकता है अथवा उसकी परिवीक्षा की अवधि उतनी अवधि तक आगे बढ़ायी जा सकती है, जितना कि सरकार ठीक समझे।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा रेल मंत्रालय तक ही सीमित है और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा की भांति स्टाफ का तबादला अन्य मंत्रालयों में नहीं किया जा सकता।

(ग) इन नियमों के अन्तर्गत भर्त्ती किये गये रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अधिकारी:

(i) पेंशन-लाभ प्राप्त कर सकेंगे, और

(ii) गैर-अंशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के उन नियमों के अन्तर्गत उस निधि में अभिदान करेंगे जो सेवा में आने की तारीख को नियुक्त हुए रेलवे कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

(घ) रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में नियुक्त उम्मीदवार रेलवे बोर्ड द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार पासों तथा विशेष टिकट-आदेशों (पी० टी० ओ०) की सुविधा पाने के हकदार होंगे।

(ङ) जहां तक छुट्टी तथा अन्य सेवा शर्तों का संबंध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा में रखे गये स्टाफ के साथ उसी तरह का व्यवहार किया जायेगा जैसा कि रेलवे के अन्य स्टाफ के साथ किया जाता है परन्तु चिकित्सा सुविधाओं के मामले में वे उन्हीं नियमों द्वारा शासित होंगे जो उन अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर लागू होते हैं जिनका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 सितम्बर 1973

सं० 12012/5/72-हिन्दी-II—भारत सरकार ने गृह मंत्रालय की हिन्दी शिक्षण योजना की कार्यप्रणाली का पुनरीक्षण करने के लिए एक समिति के गठन का निर्णय किया है।

2. समिति का गठन इस प्रकार होगा :—

1. श्री रमा प्रसन्न नायक, अध्यक्ष
भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार।

2. श्री सी० बी० राव, सदस्य
उप कुलपति,
आगरा विश्वविद्यालय,
आगरा ।

3. श्री पी० पी० पटनायक, सदस्य
निदेशक, केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान,
मैसूर ।

4. डा० पी० गोपाल शर्मा, सदस्य
निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय,
नई दिल्ली ।

5. डा० ब्रजेश्वर वर्मा, सदस्य
निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी संस्थान,
आगरा ।

6. श्री जीवन नायक, सदस्य
प्रधान सम्पादक,
केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय ।

7. श्री एम० जी० चतुर्वेदी, सदस्य
रीडर, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद्,
नई दिल्ली ।

8. श्री आंजनेय शर्मा, सदस्य
मंत्री, अखिल भारतीय हिन्दी
संस्था संघ, नई दिल्ली ।

9. श्री पी० एन० चतुर्वेदी, सदस्य-सचिव
क्षेत्रीय अधिकारी,
हिन्दी शिक्षण योजना ।

समिति के विचारार्थ विषय इस प्रकार होंगे :—

हिन्दी शिक्षण योजना का उद्देश्य कहां तक पूरा हुआ है उसके मूल्यांकन के लिये उस योजना के सभी पहलुओं की कार्य-प्रणाली का सामान्य रूप से पुनरीक्षण करना तथा भविष्य में इसकी कार्य-प्रणाली के लिये विशेषत: निम्नलिखित विषयों के संबंध में सिफारिश करना:—

(1) दिये जाने वाले हिन्दी प्रशिक्षण का स्वरूप,

(2) (क) पाठ्यक्रम की संख्या और उनकी अवधि
(ख) हरेक पाठ्यक्रमों के अंत में कोई परीक्षा हो, या न हो यदि हो, तो वह कैसे ली जाएगी—परीक्षा लेने की वर्तमान पद्धति में कोई परिवर्तन हो, या न हो,

(3) प्रस्तावित हिन्दी प्रशिक्षण के स्वरूप के लिये उपयुक्त पाठ्यचर्या तैयार करना तथा पुस्तकें तैयार करने के लिये मार्गदर्शक सिद्धांत प्रस्तुत करना,

(4) हिन्दी शिक्षण की आधुनिक उन्नत पद्धतियों को प्रयुक्त करना,

(5) राजपत्रित अधिकारियों के लिये व्यक्ति सुलभ पाठ्यक्रम "पर्सनलाइज्ड कोर्स" प्रयुक्त करना,

(6) हिन्दी प्रशिक्षण के लिये आधुनिक साधनों को अपनाना,

(7) (क) कक्षाओं में प्रशिक्षणार्थियों के प्रवेश व उपस्थिति और पाठ्यक्रमों के अंत में परीक्षाओं में बैठने को बढ़ावा देना,

(ख) सर्वकार्यभारी अधिकारियों के वर्तमान पदों के सम्बन्ध में—योजना के कार्यान्वयन में यह व्यवस्था कहां तक सफल हो सकी है और क्या जारी रखा जाए या स्वयं गृह मंत्रालय ही इस योजना को कार्यान्वित करने की सारी जिम्मेदारी ले ले,

(8) हिन्दी में कर्मचारियों के प्रशिक्षण की गति तेज करने के लिए नये प्रोत्साहनों को प्रयुक्त करना,

(9) योजना की कर्मचारी-व्यवस्था (स्टाफिंगपैटर्न) जिसमें प्रस्तावित हिन्दी प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुकूल नये कर्मचारियों की भर्ती या मौजूदा कर्मचारियों को कोई विशेष प्रशिक्षण देना शामिल है,

(10) प्रशिक्षणार्थियों के हिन्दी के ज्ञान को बनाये रखने और यथासंशोधित राजभाषा अधिनियम, 1963 की व्यवस्थाओं के भीतर उनके द्वारा अपने सरकारी काम-काज में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई, और

(11) समिति के विचार-विमर्श के समय उसके सामने रखे जाने वाले अन्य किसी मामले के बारे में ।

3. समिति अपने कार्यों की पूर्ति के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति को अपना सदस्य सहयोजित कर सकेगी या साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

4. समिति अपनी स्थापना के बाद छः महीने के अन्दर-अन्दर अपनी रिपोर्ट दे देगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासकों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, योजना आयोग नियंत्रक व महालेखा, परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सब की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

प्रेम नाथ धीर, उप-सचिव ।

वाणिज्य मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 1973

सं० 4(1)/73-ई० पी० जेड०—केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा श्री एन० बनर्जी, संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात, बम्बई,

को श्रीमती एम० डी० कोस्टा के स्थान पर, सान्ताक्रुज एक्सपोर्ट प्रासेसिंग जोन बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त करती है और भारत सरकार के विदेश व्यापार मंत्रालय की तारीख 20 जनवरी, 1973 की अधिसूचना सं० 16 (2)/73-डी० ए० ई० पी० में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में क्रमांक 9 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जाएगी, अर्थात:—

"9. श्री एन० बनर्जी,
आयात व निर्यात के संयुक्त मुख्य नियंत्रक,
बम्बई"

एन० एस० वैद्यनाथन, निदेशक

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 1973

संकल्प

सं० बिजली-बो-1(3)/72—इस मंत्रालय के संकल्प सं० बिजली-बो-1(3)/72-दिनांक 20 सितम्बर, 1972 में वर्तमान प्रविष्टियों, 2, 5, और 7 के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को पढ़ा जाए :

"2 श्री बी० बी० लाल,
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के सलाहकार, लखनऊ

5 श्री के० बाल चन्द्रन,
उड़ीसा के राज्यपाल के सलाहकार, भुवनेश्वर

7 श्री के० चिक्कालिंगय्या,
संसद्-सदस्य (लोक सभा)"

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों और राज्य बिजली बोर्डों को व्यापक प्रचार हेतु भेज दी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए।

श्री ना० विसे, संयुक्त सचिव

संचार मंत्रालय
(डाक-तार बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 24 सितम्बर 1973

संकल्प

सं० ई०-12016/1/73-हिन्दी 'क'—भारत सरकार ने 1-10-1973 से संचार मंत्रालय में "डाकतार हिन्दी सलाहकार समिति" गठित करने का विनिश्चय किया है। समिति का गठन और कार्य-कलाप इस प्रकार होंगे :—

1. **गठन** :

1.	श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, संचार मंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री जगन्नाथ पहाड़िया, उप-संचार मंत्री	उपाध्यक्ष
3.	श्री नागेश्वर द्विवेदी, सदस्य, लोकसभा	सदस्य
4.	बालाकृष्णा वेनकन्ना नाइक, सदस्य, लोकसभा	सदस्य
5.	श्री रामसहाय पाण्डे, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
6.	श्री आर० आर० शर्मा, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
7.	श्री चक्रापाणी शुक्ल, सदस्य, राज्यसभा	सदस्य
8.	श्री सुधाकर पाण्डेय, सदस्य, लोक सभा	सदस्य
9.	श्री रामधारी सिंह, 'दिनकर', प्रसिद्ध कवि (पटना)	सदस्य
10.	श्री अक्षय कुमार जैन, संपादक, नव-भारत टाइम्स, नई दिल्ली	सदस्य
11.	श्री प्रकाशवीर शास्त्री, नई दिल्ली	सदस्य
12.	श्री एस० एन० सिंह, भूतपूर्व जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट, इलाहाबाद	सदस्य
13	मनोहर श्याम जोशी, संपादक, साप्ताहिक हिन्दुस्तान, नई दिल्ली	सदस्य
14.	डा० विजयेंद्र स्नातक अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली	सदस्य
15.	श्री आंजनेय शर्मा, सामान्य सचिव, हिन्दी संस्था संघ, नई दिल्ली	सदस्य
16.	डा० आर० डी० शर्मा, दिल्ली	सदस्य
17.	श्री अशोकजी, संपादक 'स्वतन्त्र भारत' लखनऊ	सदस्य
18.	श्री मजीर बनारसी, पंडि हवेली, वाराणसी	सदस्य
19.	श्री राम दयाल पाण्डे, भागलपुर, बिहार	सदस्य
20.	श्री श्रीकान्त वर्मा, प्रसिद्ध कवि तथा पत्रकार, नई दिल्ली	सदस्य
21.	कुमारी साधना घोष, नई दिल्ली	सदस्य
22.	श्री बालाशौरी रेड्डी, मद्रास	सदस्य
23.	डा० राय रामचरण अग्रवाल, इलाहाबाद	सदस्य
24.	सचिव, संचार	सदस्य
25.	हिन्दी सलाहकार, भारत सरकार, नई दिल्ली	सदस्य
26.	वरिष्ठ सदस्य (वित्त), डाकतार बोर्ड, नई दिल्ली	सदस्य
27.	वरिष्ठ सदस्य (डाक-प्रचालन), डाक-तार बोर्ड, नई दिल्ली	सदस्य
28.	सदस्य (प्रशासन) डाकतार बोर्ड, नई दिल्ली	सदस्य
29.	निदेशक (हिन्दी) डाकतार बोर्ड, नई दिल्ली	सदस्य-सचिव

2. **कार्यकाल** :

समिति के सदस्यों का कार्यकाल साधारणतया 1-10-73 से तीन वर्ष के लिए होगा।

3. **कार्यकलाप** :

समिति का काम डाकतार विभाग में सरकारी काम में हिन्दी के प्रयोग के लिए सरकार को सलाह देना होगा।

समिति को उप-समितियां बनाने और समिति के कामों में सहायता पहुंचाने के लिए अतिरिक्त सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार होगा ।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेज दी जाये ।

यह भी आदेश दिया जाता कि सर्व साधारण की सूचना के लिए यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

डी० एन० रामचंदानी,
सदस्य (प्रशासन)
डाकतार बोर्ड

औद्योगिक विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 1973

संकल्प

सं० 55(1)/53-जन० इण्ड०—भारत सरकार ने चीनी मिट्टी उद्योग के लिए इस संकल्प के जारी होने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिये समिति का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे :—

1. श्री एम० के० गनपुले — अध्यक्ष
   प्रबन्धक निदेशक,
   मै० परशुराम पोटारी वर्क्स
   कम्पनी, लि०, मर्वी,
   बंकामेर-12, गुजरात ।
2. श्री ए० एस० साम्बमूर्ति, — सदस्य
   प्रबन्धक निदेशक,
   मै० मैसूर पोर्सलेन्स लि०,
   जी० पी० एफ० प्रेमिसेज,
   साइन्स इस्टीट्यूट पोस्ट,
   बंगलौर ।
3. श्री एच० एल० सोमानी, — सदस्य
   मै० हिन्दुस्तान सैनिटरीवेयर,
   एण्ड इण्डस्ट्रीज लि०,
   2, वेल्जली प्लेस,
   कलकत्ता ।
4. श्री जी० के० भगत, — सदस्य
   प्रबन्ध निदेशक,
   मै० बंगाल पोटरीज लि०
   थापर हाउस,
   25, ब्राबोर्न रोड,
   कलकत्ता-1 ।
5. श्री टी० सी० के० पिल्लई, — सदस्य
   महाप्रबन्धक,
   मै० दी केरल सिरेमिक्स लि०,
   पी० ओ० कुण्डारा, केरल ।
6. श्री एन० एस० सेतुरामन, — सदस्य
   प्रबन्ध निदेशक,
   मै० डब्ल्यू० एस० इनसुलेटर आफ इण्डिया लि०,
   धुन बिल्डिंग, 175/1, माउन्ट रोड,
   मद्रास-3 ।
7. श्री वेद कपूर, — सदस्य
   प्रबन्ध निदेशक,
   मै० हितकारी पोटरीज प्रा० लि०,
   चौधरी बिल्डिंग 'के' ब्लाक,
   कैनाट सरकस, नई दिल्ली-1 ।
8. श्री आर० एम० मेहरा, — सदस्य
   मै० बाम्बे पाटरीज एण्ड टाइल्स लि०,
   पाइप रोड, कुर्ला,
   बम्बई ।
9. श्री नरानदास दामोदर, — सदस्य
   प्रबन्ध निदेशक,
   मै० नव भारत पाटरीज (प्रा०) लि०,
   टाकेरशी जीवराज बाडी,
   जकारिया रोड, सेवरी (वेस्ट),
   बम्बई-15 ।
10. श्री ए० पी० सूर, — सदस्य
    निदेशक,
    मै० सूर इण्डस्ट्रीज प्रा० लि०,
    163, आचार्य जगदीश बोस रोड,
    कलकत्ता-14 ।
11. श्री डी० पी० बहल, — सदस्य
    जिआलाजिस्ट (वरिष्ठ),
    जिआलाजिकल सर्वे आफ इण्डिया,
    27, जवाहर लाल नेहरू रोड,
    कलकत्ता-13 ।
12. श्री वी० जे० एन० एस० आर० अजनीयुलू — सदस्य
    संयुक्त निदेशक,
    उद्योग और खान डिवीजन,
    योजना आयोग,
    नई दिल्ली ।
13. श्री डी० दास गुप्ता, — सदस्य
    निदेशक (रसायन),
    भारतीय मानक संस्था,
    9, बहादुर शाह जफर मार्ग,
    नई दिल्ली-1 ।
14. डा० वी० एम० सवालिया, — सदस्य
    निदेशक (कांच और चीनी मिट्टी),
    विकास आयुक्त का कार्यालय.
    (लघु उद्योग),
    नई दिल्ली ।

15. सेन्ट्रल, ग्लास एण्ड सिरेमिक, रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जादवपुर का एक प्रतिनिधि । — सदस्य

16. वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि — सदस्य

17. श्री एम० सी० जोशी, विकास अधिकारी (चीनी मिट्टी), तकनीकी विकास का महानिदेशालय, नई दिल्ली । — सदस्य-सचिव

2. नामिका के निम्नलिखित कार्य होंगे :—

1. कच्चे माल की आवश्यकता को सविवरण आँकना तथा चीनी मिट्टी उद्योग हेतु मानकीकृत कच्चे माल के अभिकरणों की स्थापना के लिए साधनों तथा तरीकों का विकास करना और चीनी मिट्टी उद्योग के लिये आवश्यक मशीनों/फालतू पुर्जों की आवश्यकता को उत्पादन में प्रोत्साहन देने की दृष्टि से आंकना ।

2. ईंधन और कच्चे माल की बर्बादी रोकने, अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने, किस्म में सुधार करने तथा लागत में कमी लाने के लिये कार्य-क्षमता सम्बन्धी प्रतिमान सुझाना;

3. अधिष्ठापित क्षमता का भरपूर उपयोग करने सम्बन्धी अभ्युपाय बताना तथा उद्योग की विशेष कर कम कार्यक्षम एककों की कार्य पद्धति में सुधार लाने के अभ्युपाय बताना;

4. विशेष कर फालतू क्षमता वाली वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के सम्बन्ध में सुझाव देना;

5. तकनीकी व्यक्तियों के प्रशिक्षण के क्षेत्र में सुस्थिर विकास का सुनिश्चिय करने के लिए एक उपयुक्त संगठन की स्थापना के लिये सुझाव देना;

6. कच्चे माल, फालतू पुर्जों और अन्य सम्बन्धित उपकरणों के आयात प्रतिस्थापना के लिये उपाय सुझाना;

7. उद्योग सम्बन्धी किसी भी अन्य मामले पर जिसमें केन्द्रीय सरकार नामिका का मत अथवा जांच करने के उपरान्त मत जानना चाहे उसमें अपनी राय देना ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी सम्बन्धित लोगों के पास भेजी जाये तथा आम जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

ए० वी० सेन गुप्ता, अवर सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

(पर्यावरण योजना तथा समन्वय कार्यालय)

नई दिल्ली-110029, दिनांक 24 सितम्बर 1973

संकल्प

नई दिल्ली-110029, दिनांक 24 सितम्बर 1973

सं० डी० एस० टी०/अो० ई० पी० सी०/35/73—केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुवेधान संस्थान, नागपुर के निदेशक को इस विभाग के संकल्प क्रमांक पच० 11013/2/72-प्र० । दिनांक 18 फरवरी, 1972 के अनुसार स्थापित पर्यावरण योजना तथा समन्वय संबंधी राष्ट्रीय समिति (एन० पी० सी०) का सदस्य नियुक्त किया जाता है ।

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रतिलिपि पर्यावरण योजना तथा समन्वय संबंधी समिति के अध्यक्ष तथा सामान्य जानकारी के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये ।

एन० आर० कृष्णन, उप सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 अगस्त 1973

सं० 19-34/71-एफ०वाई० (पी०-17)/टी०-1—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एफ० 12-24/57-एफ० वाई० (डी०), दिनांक 1 अप्रैल, 1958 और अधिसूचना संख्या 12-30/62-एफ० वाई० (डी०), दिनांक 26 मार्च, 1964 तथा संख्या एफ० 31-6/67-एफ० वाई० (डी०), दिनांक 14 फरवरी, 1968, 15 नवम्बर, 1968 तथा 22 अगस्त, 1970 के क्रम में राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों को तीन वर्ष की अवधि के लिए केन्द्रीय मात्स्यकी बोर्ड के गैर-सरकारी सदस्य के तौर पर नामित करते हैं :—

1. श्री एन० एन० शील, सदस्य, विधान सभा, सिओनी, अध्यक्ष, मछुआ सहकारी समिति, सिओनी, मध्य प्रदेश ।

2. श्री चादो लाल साहो, एडवोकेट, 48, कंदारी बाजार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश ।

3. श्री भुनेश्वर राम, भूतपूर्व सदस्य, विधान सभा, बिहार विधान सभा, ग्राम—नारी, पो० आ०—बछवारा, जिला—मुंगेर, बिहार ।

4. श्री प्रफुल्ल कुमार दास, सदस्य, विधान सभा, जयनगर, अगरतल्ला डाकघर, त्रिपुरा ।

5. श्री डी० एल० मेच, सदस्य, विधान सभा,
पूर्णा बाज़ार,
डाकघर धीमापुर, नागालैण्ड ।

6. श्री जगजीत सिंह, एम० ए० (अर्थ०),
ग्राम—कंजनवाल,
तहसील तथा जिला लुधियाना,
पंजाब ।

7. डा० रोलैण्ड फ्रेंकलिन,
क्यालापट्टी,
शिलांग-2, मेघालय ।

8. श्री क्षीरदा कान्त बिश्वास,
मत्स्य पालक, उज्जन बाजार,
गोहाटी, असम ।

9. श्री तकीउद्दीन,
अध्यक्ष, जयपुर मात्स्यकी सहकारी समिति,
जयपुर, राजस्थान ।

10. श्री श्यामनन्द पंडित, सदस्य, विधान सभा,
मार्फत फ्रेंड्स स्टेशनरी मार्ट,
मेन मार्केट, बिलासपुर, हिमाचल प्रदेश ।

11. कर्नल हैरी नेडन,
मार्फत नीड्स होटल, श्रीनगर, कश्मीर ।

गोडविन रोज, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 1973

संकल्प

सं० 10-1/73-सी० ए०-1—भारत सरकार ने अपने संकल्प सं० 1-1/67-सी० सी०-1 दिनांक 8 दिसम्बर, 1967 के अनुसार स्थापित की हुई भारतीय सुपारी विकास परिषद् को तत्काल पुनर्गठित करने का निर्णय किया है । पुनर्गठित परिषद् की संरचना निम्न प्रकार होगी :—

1. **अध्यक्ष :** भारत सरकार द्वारा मनोनीत एक गैर-सरकारी व्यक्ति ।

2. **उपाध्यक्ष** भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के कृषि विभाग के अपर सचिव ।

3. **सदस्य :** **केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधि ।**

(क) **राज्य :** निम्नलिखित राज्य सरकारों के कृषि विभाग का एक-एक प्रतिनिधि संबद्ध राज्य सरकार द्वारा नामजद किया जाना है :—

(1) केरल
(2) मैसूर
(3) असम
(4) महाराष्ट्र
(5) पश्चिम बंगाल
(6) तमिलनाडु
(7) मेघालय

(ख) **केन्द्रीय सरकार :** (1) योजना आयोग का एक प्रतिनिधि ।

(2) वाणिज्य मंत्रालय का एक प्रतिनिधि ।

(3) भारत सरकार के कृषि आयुक्त

(4) परियोजना समन्वयक (नारियल तथा सुपारी) । तथा निदेशक, केन्द्रीय पौधारोपण फसल अनुसंधान संस्थान, पोस्ट कुंदलू, कैसरेडड (केरल) ।

(5) संयुक्त आयुक्त (विस्तार प्रशिक्षण) या विस्तार निदेशालय के प्रतिनिधि के रूप में फार्म सूचना एकक का निदेशक ।

(ग) **उत्पादकों के प्रतिनिधि :** प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्यों में से संबंधित राज्य सरकारों द्वारा नामजद किए जाने वाले उत्पादकों के 9 प्रतिनिधि जो निम्न प्रकार होंगे :—

(1) केरल	दो प्रतिनिधि
(2) मैसूर	दो प्रतिनिधि
(3) असम	एक प्रतिनिधि
(4) महाराष्ट्र	एक प्रतिनिधि
(5) पश्चिम बंगाल	एक प्रतिनिधि
(6) तमिलनाडु	एक प्रतिनिधि
(7) मेघालय	एक प्रतिनिधि

(घ) **व्यापारियों के प्रतिनिधि :** वाणिज्य तथा अन्य व्यापारिक संस्थाओं के विभिन्न मान्यता प्राप्त चैम्बरों द्वारा सिफारिश किए गए उम्मीदवारों में से व्यापारियों के तीन प्रतिनिधि परिषद् में नामजद किए जाने है ।

(ङ) **उद्योगों के प्रतिनिधि :** उद्योगो के तीन प्रतिनिधि ।

(च) **अन्य :** संसद कार्य विभाग द्वारा तीन संसद सदस्य नामजद किए जाने हैं ।

(ङ) परिषद् में जिन व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं है उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अतिरिक्त व्यक्तियों को नामजद किया जाना है ।

4. **सदस्य-सचिव**: निदेशक, सुपारी तथा मसाला निदेशालय, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग), नई दिल्ली ।

5. **प्रेक्षक** : (जो परिषद् के सदस्य नहीं होंगे किन्तु उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए उन्हें परिषद् की बैठकों के लिए अवश्य ही आमंत्रित किया जाएगा ।)

1. राज्य व्यापार निगम लि०, नई दिल्ली के अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि ।
2. कृषि विपणन सलाहकार, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) ।
3. कृषि मंत्रालय के कृषि, विभाग से संबद्ध संयुक्त सचिव (वित्त) ।
4. अर्थ तथा सांख्यिकी सलाहकार, कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) ।
5. निदेशक, केन्द्रीय खाद्य प्रोद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, बंगलौर ।
6. सचिव, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, नई दिल्ली ।
7. संयुक्त आयुक्त (निर्यात वृद्धि) कृषि मंत्रालय (कृषि विभाग) ।
8. संयुक्त आयुक्त (सी०सी०) कृषि विभाग ।
9. उप सचिव (फसल) ।
10. निदेशक (बागवानी) कृषि विभाग ।

2. यह परिषद् एक सलाहकार निकाय के रूप में निम्नलिखित कार्य करेगी :—

1. केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए विकास कार्यक्रम पर विचार करना, समय-समय पर उनकी प्रगति का पुनरीक्षण करना और प्रगति को तीव्र करने के लिए उपाय सुझाना ।
2. जिंसों के विपणन, परिसंस्करण, भण्डारण तथा उनके परिवहन, व्यापार और मूल्य निर्धारण के मार्ग में आने वाली समस्याओं पर विचार करना और उनके सम्बन्ध में सरकार को महत्वपूर्ण सलाह देना ।
3. कार्यक्रम बनाकर अनुसंधान तथा विकास कार्यक्रम में और जिस संबंधी बाजार की जरूरतों के बारे में अनुसंधान एजेंसियों को सलाह देने के विषय में उपयुक्त समन्वय करना ।
4. निर्यात बाजार की जरूरतों पर विचार करना और उपयुक्त सिद्ध होने वाले विकास कार्यक्रमों का समायोजन करना ।
5. अन्य ऐसे कार्य संभालना जो जिस के विकास में सहायता देने के लिए समय-समय पर सौंपे जाएं ।

3. भारतीय सुपारी विकास परिषद् को अधिकार होगा कि वह विशेष महत्वपूर्ण मामलों पर विचार करने और कृषि विश्वविद्यालयों तथा अन्य विशेष हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को विनियुक्त करने के विषय में आवश्यक स्थायी समिति, तकनीकी समिति और तदर्थ समिति स्थापित कर सकती है ।

4. सुपारी उत्पादक क्षेत्रों व व्यापार तथा उद्योग के महत्वपूर्ण केन्द्रों में समय-समय पर परिषद् की बैठकें हुआ करेंगी और परिषद् भारत सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी ।

5. परिषद् का कार्यकाल 31-12-1976 तक होगा । संसद सदस्य संसद की सदस्यता से हटते ही परिषद् के सदस्य भी नहीं रह सकेंगे । आवश्यकतानुसार भारत सरकार परिषद् के कार्यकाल को बढ़ा या घटा सकती है ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, केन्द्र शासित राज्य सरकारों, भारत सरकार के मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय को भेजी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

वी० सी० कपूर, अपर सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय
(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 1973

शुद्धि-पत्र

सं० एफ० 15-25/72-एल०—संस्कृति विभाग के समसंख्यक शुद्धिपत्र, दिनांक 21 फरवरी, 1973 और 6 जुलाई, 1973 द्वारा संशोधित, संस्कृति विभाग के संकल्प सं०

एफ०-15-25/72-एल०-1, दिनांक 5 मई, 1972 में निम्नलिखित और संशोधन किया जाता है :—

पैरा 7 के स्थान पर निम्नलिखित लिख दिया जाए :

"समिति को अपनी रिपोर्ट 31 दिसम्बर, 1973 तक सरकार को पेश कर देनी चाहिए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प के संशोधन की प्रतियां समिति के सभी सदस्यों, अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सभी कुलपतियों, निदेशक, केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, आयोजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय तथा सभी राज्य सरकार और भारत सरकार के सभी विभागों को भेज दी जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प के शुद्धि-पत्र को भारत के राजपत्र में, सर्व साधारण की सूचना के लिए प्रकाशित कर दिया जाए।

एस० के० चतुर्वेदी, उप सचिव

निर्माण और आवास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 सितम्बर 1973

संकल्प

विषय:—दिल्ली महानगर क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए विकास प्लानों के बनाने तथा कार्यान्वयन के लिये उच्च सत्ता प्राप्त बोर्ड के अन्तर्गत एक समिति का गठन।

सं० 8-6(1)/69-यू० डी-II—17 सितम्बर, 1973 को हुई उच्च सत्ता प्राप्त बोर्ड की बैठक की सिफारिश पर क्षेत्र के प्लान बनाने, निधियों की व्यवस्था करने, इलाके के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में परिवर्द्धन करने तथा अन्य सम्बन्धित मामलों पर विचार करने के लिये भारत सरकार ने एक समिति को नियुक्त करने का निर्णय किया है। समिति, विचार किये गए विषयों पर, उच्च सत्ता प्राप्त बोर्ड को उपयुक्त सिफारिशें करेगी तथा आवश्यकता पड़ने पर उसको भारत सरकार के मन्त्रालयों/विभागों/कार्यालयों और राज्य सरकारों से सदस्यों को सहयोजित करने का भी अधिकार होगा।

2. समिति का गठन इस प्रकार से होगा :—

1.	केन्द्रीय निर्माण और आवास मंत्रालय के राज्य मंत्री	अध्यक्ष
2.	मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश अथवा उनका प्रतिनिधि ..	सदस्य
3.	मुख्य मंत्री, हरियाणा अथवा उनका प्रतिनिधि ..	सदस्य
4.	मुख्य मंत्री, राजस्थान अथवा उनका प्रतिनिधि	सदस्य
5.	मुख्य कार्यकारी पार्षद, दिल्ली महानगर परिषद	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव, (आवास) निर्माण और आवास मंत्रालय	सदस्य सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधित व्यक्तियों को भेजी जाय।

आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य सूचना के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

पी० प्रभाकर राव, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT
DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS

RULES

New Delhi, the 20th October 1973

No. 10/21/73-CS-II.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1974 for selection of ex-Servicemen for the purpose of filling temporary vacancies reserved for them in the Railway Board Secretariat Stenographers' Service—Grade II (for inclusion in the Select List of the Grade) are published for general information, in pursuance of the provisions contained in rule 4 of the Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Central Civil Services and posts Class III and Class IV) Rules, 1971. The Ex-Servicemen (Reservation of Vacancies in the Central Services and Posts Class III and Class IV) Rules, 1971, aforesaid shall cease to be in force on and from the 1st July, 1974 unless extended by Government.

2. The number of vacancies to be filled on the results of this examination will be specified in the Notice issued by the Commission.

Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960 and the Punjab Reorganisation Act, 1966; the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967; the Constitution (Goa, Daman and Diu), Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu), Scheduled Tribes Order, 1968, and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to the Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Subject to the provisions of these Rules, all Ex-Servicemen will be eligible to appear at this examination.

NOTE.—For the purpose of these rules, "Ex-Servicemen" means a person, who has served in any rank (whether as a combatant or as non-combatant), in the Armed Forces of the Union (*viz.* Naval, Military or Air Forces of the Union), including the Armed Forces of former Indian States but excluding the Assam Rifles, Defence Security Corps, General Reserve Engineering Force, Jammu & Kashmir Militia, Lok

Sahayak Sena and Territorial Army, for a continuous period of not less than six months after attestation as on 3rd December, 1973 and—

(i) has been relased, otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, or has been transferred to the reserve pending such release, or

(ii) has to serve for not more than six months as on 3rd December, 1973 for completing the period of service requisite for becoming entitled to be released or transferred to the reserve as aforesaid.

5. (1) A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention or permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates who are non-citizens, in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, viz., 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will however require, certificate of eligibility in the usual way.

(2) A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

6. (A) A candidate must have attained on 1st January, 1974 the age of 18 years and must not have attained an age exceeding 25 years by more than his total service in the Armed Forces increased by three years.

Note.—The period of "call up service" of an ex-Serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purposes of rule 6(A) above.

(B) The upper age limit in all the above cases, will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Castes or a Scheduled Tribes;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a **bona fide** displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971.

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a **bona fide** displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry, and has received education through the medium of French at some stage.

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a **bona fide** repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vi) up to a maximum eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a **bona fide** repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964.

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(ix) up to a maximum of three years if a candidate is a **bona fide** repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June 1963;

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a **bona fide** repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof who belongs to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

7. No candidate shall be permitted to compete more than two times at the examination, the restriction being effective from the examination held in 1969.

8. Candidates must have passed one of the following examinations or must possess one of the following certificates :—

(i) Matriculation examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India;

(ii) an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School Course for the award of a School Leaving, Secondary School, High School or any other Certificate which is accepted by the Government of that State as equivalent to Matriculation certificate for entry into services;

(iii) Cambridge School Certificate Examination (Senior Cambridge);

(iv) European High School Examination held by the State Governments;

(v) Tenth Class certificate of the Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry;

(vi) Tenth class Certificate from the Technical Higher Secondary School of the Delhi polytechnic;

(vii) Pass in the examination held by a recognised Higher Secondary School/Multipurpose School in India at the end of the penultimate year of a Higher Secondary Course/Multipurpose Course (which enables a candidate to get admission to the 3 year degree course);

(viii) Tenth Class Certificate from a recognised school preparing students for the Indian School Certificate Examination;

(ix) Junior examination of the Jamia Millia Islamia, Delhi, in the case of **bona fide** resident students of Jamia only.

(x) Bengal (Science) School Certificate;

(xi) Final School Standard Examination of the National Council of Education, Jadavpur, West Bengal (since inception);

(xii) the following French Examinations of Pondicherry.

(i) 'Brevet Elementaire' (ii) Brevet d'Enseignement Primaire de Langue Indienne (iii) Brevet D'etudes du Primier Cycle' (iv) Brevet D'Enseignment Primarie Superieur de Langue Indienne' and (v) 'Brevet de Langue Indienne (Vernacular)'.

(xiii) Indian Army Special Certificate of Education;

(xiv) Higher Education Test of Indian Navy.

(xv) Advanced Class (Indian Navy) Examination;

(xvi) Ceylon Senior School Certificate Examination;

(xvii) Certificate granted by the East Bengal Secondary Education Board, Dacca;

(xviii)(a) Secondary School Certificates granted by the Board of Secondary Education at Comilla/Rajshahi/Khulna in erstwhile East Pakistan;

(b) Secondary School Certificate awarded by the Board of Intermediate and Secondary Education, Jessore in erstwhile East Pakistan;

(xix) School Leaving Certificate Examination of Government of Nepal;

(xx) Anglo-Vernacular School Leaving Certificate (Burma);

(xxi) Burma High School Final Examination Certificate;

(xxii) Anglo-Vernacular High School Examination of the Education Department, Burma (pre-war);

(xxiii) Post-War School Leaving Certificate of Burma;

(xxiv) the 'Vinit' examination of the Gujarat Vidyapith Ahmedaad;

(xxv) Pass in the 5th Year of Lyceum' a Portuguese qualification in Goa, Daman and Diu

(xxvi) General Certificate of Education Examination of Sri Lanka (formerly known as Ceylon at 'Ordinary' level provided it is passed in five subjects including English and Mathematics and either Sinhalese or Tamil;

(xxvii) General Certificate of Education Examination of the Associated Examination Boards, London at 'Ordinary Level provided it is passed in five subjects including English.

(xxviii) The Junior/Secondary Technical School Examination conducted by any of the State Boards of Technical Education.

(xxix) Purva Madhyama (with English), or old Khand Madhyama (first two years course) and special examination in additional subjects with English as one of the subjects of the Varnaseya Sanskrit Vishwa Vidyalaya, Varanasi; and

(xxx) Carta de Curso de Formaco de Serralheiro (Certificate in Smithy Course) and Carta de Curso de Montado Electricicista (Certificate in Electrician course) awarded by the Escola Industrial Commercial de Goa, Panaji, under the Portugese set up prior to liberation of Goa, Daman and Diu.

(xxxi) Secondary School Certificate awarded by the Board of Intermediate and Secondary Education, Jessore in erstwhile East Pakistan;

(xxxii) Higher Secondary (core subjects) examination of Panjab University.

NOTE 1.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intend, to appear at such a qualifying examination may also apply provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE 2.—In exceptional cases, the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications the standard of which in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

9 No person -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

10. All candidates in Government Service whether in a permanent or a temporary capacity or as workcharged employees other than casual or daily-rated employees must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the examination.

11. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate who after such medical examination as may be prescribed by the competeht authority, is found not to satisfy these requirements will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medicaly examined.

Note —In the case of the disabled ex-Defence Services personnel a certificate of fitness granted by Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

12. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

13. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of admitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall, or of misbehaviour in the examination hall, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution—

(a) be debarred permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from admission to any examnation or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidates; and

(ii) by the Central Government from employment under them.

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List of Grade II of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service with due regard to the number of vacancies available to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to fitness of these candidates for inclusion in the Select List of

Grade II of the Railway Board Secretariat Stenographers' Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

17. If on the result of the examination a sufficient number of qualified candidates is not available to fill the vacancies reserved for Ex-Servicemen the unfilled vacancies shall be filled the manner prescribed by the Government in this behalf.

18. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

19. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service.

20. Brief particulars relating to the Services to which recruitment is being made through this examination are given in Appendix II.

M. K. VASUDEVAN, Under Secy.

APPENDIX I

1. The competitive examination comprises :

(a) Written examination in two subjects as shown in para 2 below carrying a maximum of 200 marks.

(b) Shorthand tests as shown in para 2 and Part 'B' of the schedule below for those who qualify at the written examination, carrying a maximum of 300 marks.

2. The subjects of the examination, the allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

PART A—Written Test

Subject	Time allowed	Maximum Marks
(i) English	3 hours	100
(ii) General Knowledge	3 hours	100

PART B—SHORTHAND TESTS IN HINDI OR IN ENGLISH (FOR THOSE WHO QUALIFY AT THE WRITTEN TEST)—300 marks.

NOTE.—Candidates will be required to transcribe their shorthand notes on typewriters, and for this purpose they will be required to bring their own typewriters with them.

3. The syllabus for the Written Test and the scheme of the Shorthand Tests will be as shown in the Schedule to this Appendix and the question papers for the written examination will be the same as for as the corresponding subjects in the scheme of the regular Stenographers' Examination with which this examination will be held concurrently.

4. Candidates are allowed the option to answer paper (ii) General Knowledge, of the Written Test, either in Hindi (Devanagari) or in English. The option will apply to the complete paper and not to a part thereof.

Candidates who opt to answer the aforesaid paper in Hindi (Devanagari) will be required to take the Shorthand Tests, also in Hindi (Devanagari) only and candidates who opt to answer the aforesaid paper in English will be required to take the Shorthand Tests also in English only.

NOTE.—Candidates desirous of exercising the option to answer paper (ii) General Knowledge, of the Written Test and take Shorthand Tests in Hindi (Devanagari) should indicate their intention to do so in Col. 10 of the application form. Otherwise, it will be assumed that they will take the Written Test and Shorthand Tests in English.

The option once exercised shall be treated as final; and no request for alteration in the said column shall be entertained.

5. Paper (i) English of the Written Test must be answered in English by all candidates.

6. Candidates who satisfy the minimum qualifying standard in the dictation at 120 words per minute will rank above the candidates who obtain the same standard in the dictation at 100 words per minute, persons in each group being arranged inter se in order of their merit as disclosed by the aggregate marks awarded to each candidate (cf. Part B of the Schedule below).

7. Candidates must write the papers in their own hands. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

8. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

9. Only those candidates who obtain such minimum qualifying marks in the written test as may be fixed by the Commission in their discretion will be called for shorthand test.

10 Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

11. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

12. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

PART A

Standard and syllabus of the written test

NOTE.—The standard of the question papers in Part A will be approximately that of the Matriculation examination of an Indian University.

English.—The paper will be designed to test candidates knowledge of English Grammer and Composition, and generally their power to understand and ability to write correct English. Account will be taken of arrangement, general expression and workmanlike use of the language. The paper may include questions on cassay writing precis writing; drafting; correct use of words; easy idioms and prepositions; direct and indirect speech, etc.

General Knowledge.—Some knowledge of the Constitution of India, Five Year Plans, Indian History and Culture, general and economic geography of India curent events everyday science and such matters of every day observation as may be expected of an educated person. Candidates' answer are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text book.

PART B

Scheme of Shorthand Tests

The Shorthand Tests in English will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes, which the candidates will be required to transcribe in 45 and 50 minutes respectively.

The Shorthand Tests in Hindi will comprise two dictation tests, one at 120 words per minute for seven minutes and another at 100 words per minute for ten minutes, which the candidates will be required to transcribe in 60 and 65 minutes respectively.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Railway Board Secretariat Stenographers Service.

(a) (i) The Railway Board Secretariat Stenographers' Service has at present four grades as follows :—

Selection Grade : Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900 (Persons promoted

from Grade I are allowed a minimum salary of Rs. 500/- in the scale).

Grade I : Rs. 350—25—650—EB—30—770 (Persons promoted from Grade II are allowed a minimum salary of Rs 400/-).

Grade II : Rs. 210- 10—270—15—300—EB—15—450—EB—20—530.

Grade II : Rs 130—5—160 8 -200—EB—8—256—EB—8—280.

(ii) Persons recruited to Grade II of the Service will be on probation for a period of two years. During this period they may be required to undergo such training and to pass such examinations as may be prescribed by Government. On the conclusion of the period of probation if it is found that the work or conduct in the opinion of the Government of any of them has been unsatisfactory, he may either be discharged from the service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

(b) The Railway Board Secretariat Stenographer's Service is confined to the Ministry of Railways and Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the case of the Central Secretariat Stenographers' Service.

(c) Officers of the Railway Board's Stenographers' Service recruited under these rules :

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) Shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service.

(d) The candidates appointed to the Railway Board Secretariat Stenographers' Service will be entitled to the privilege of Passes and Privilege Ticket Orders in accordance with the orders issued by the Railway Board from time to time.

(e) As regards leave and other conditions of Service, staff included in the Railway Board's Secretariat Stenographers' Service are treated in the same way as other Railway Staff but in the matter of medical facilities they will be governed by rules applicable to other Central Government employees with Headquarters at New Delhi.

MINISTRY OF HOME

New Delhi-110001, dated the 25th Sept 1973

RESOLUTION

No. E. 12012/5/72-*Hindi-II*:—The Government of India have decided to constitute a Committee for undertaking a review of the functioning of the Hindi Teaching Scheme, Ministry of Home Affairs.

2. The Committee will consist of: -

1. Shri R.P. Naik, . . . Chairman
   Hindi Adviser to the Government of India.
2. Shri C.B. Rao . . Member.
   Vice-Chancellor
   Agra University,
   Agra.
3. Shri P.P. Pattanayak . . . "
   Director Central Institute of Indian Languages,
   Mysore
4. Dr. P. Gopal Sharma, . "
   Director,
   Central Hindi Directorate,
   New Delhi.
5. Dr. Vrajeshwar Varma, . . "
   Director,
   Kendriya Hindi Sansthan,
   Agra.
6. Shri Jeevan Nayak, . . . "
   General Editor,
   Central Hindi Directorate,
   New Delhi.
7. Shri M.G. Chaturvedi, . "
   Reader,
   N.C.E.R.T.
   New Delhi.
8. Shri Anjeneya Sharma, .
   Secretary,
   Akhil Bhartiya Hindi Sanstha Sangh,
   New Delhi
9. Shri P.N. Chaturvedi, . Member Secretary.
   Regional Officer,
   Hindi Teaching Scheme

The terms of reference of the Committee will be as follows —

To undertake a review of the functioning of the Hindi Teaching Scheme in all its aspects with a view to evaluating how far the object behind the Scheme has been fulfilled in general, and to make recommendations for its functioning in future especially:

i in regard to the nature of training in Hindi to be imparted,

ii (*a*) in regard to the number of courses and their duration

(*b*) whether there should be an examination at the end of each course and if so the conduct thereof—whether there should be any change in the existing system of conduct of examinations,

iii in regard to framing the syllabus and giving guidelines for the preparation of books suitable for the nature of training in Hindi proposed,

iv in regard to the introduction of improved modern method of teaching Hindi,

v in regard to the introduction of a personalized course for Gazetted Officers,

vi in regard to the adoption of any modern aids for imparting training in Hindi,

vii (*a*) in regard to promotion of enrolment and attendance of trainees in the classes and their taking of examinations at the conclusion of the courses,

(*b*) in regard to the existing institutes of Officers-in-over-all -Charge-how far it has been successful in the implementation of the Scheme and whether it should be continued or the Ministry of Home Affairs should itself take up the entire responsibility for implementing the Scheme,

viii in regard to introduction of any new incentives for accelerating the pace of training of the employees in Hindi,

ix in regard to the staffing pattern of the Scheme including recruitment of any new staff or imparting any specialised training to the existing staff to suit the requirement of of the nature of training in Hindi proposed,

x in regard to follow up action for keeping alive the knowlege of Hindi of the trainees and use of Hindi by them in their official work within the frame work of the Official Language Act, 1963, as amended, and

xi in regard to any other matters that may be referred to the Committee in the course of its deliberations

3. The Committee may co-opt any other person as its member or invite any person to give evidence before it for the fulfilment of its functions.

The Headquarters of the Committee shall be at New Delhi.

4 The Committee shall submit its report within six months of its constitution.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, Administrators of Union Territories, all the Ministries and Departments of Government of India, President's Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Planning Commission Comptroller & Auditor General, Accountant General, Central Revenues, the Lok Sabha Secretariat and the Rajya Sabha Secretariat

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. N. DHIR, Deputy Secretary

MINISTRY OF COMMERCE

New Delhi the 25th September 1973

No. 4(1)/73-*EPZ.*: The Central Government hereby appoints Shri N. Banerji, Joint Chief of Controller of Imports and Exports, Bombay, as a member of the Santa Cruz Export Processing Zone Board *vice*, Mrs. M.D. Costa and makes the following further amendment in the Government of India, Ministry of Foreign Trade Notification No. 16(2)/73 TAEP dated the 20th January, 1973, namely:—

In the said notification for the entry 9, the following entry shall be substituted, namely:—

"9. Shri N. Banerji,
Joint Chief Controller of Imports and Exports, Bombay."

N. S. VAIDYANATHAN,
Directror.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

Resolution

New Delhi, the 24th September 1973

No. EL. II-1(3)/72:—The following entries shall be made against the existing entries 2, 5 and 7 in this Ministry's Resolution No. EL. II-1(3)/72, dated the 20th September, 1972;

"2. Shri B.B. Lal, Adviser to the Governor of Uttar Pradesh, Lucknow.

5. Shri K. Balachandran, Adviser to the Governor of Orissa, Bhubaneswar.

7. Shri K. Chikkalingaiah,
Member of Parliament (Lok Sabha)".

ORDER

Ordered that copies of the Resolution be sent to all the State Governments, Union Territories and State Electricity Boards for giving wide publicity.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India.

S. N. VINZE,
Joint Secretary.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS
(P & T Board)

Resolution

New Delhi, the 24th September 1973

No. E-12016/1/73-*Hindi* '*A*':—The Government of India have decided to constitute "Dak Tar Hindi Salahkar Samiti" in the Ministry of Communications with effect from 1-10-1973. The composition and functions of the Samiti shall be as follows:—

I. *COMPOSITION*

1. Shri H.N. Bahuguna, Minister for Comms. CHAIRMAN
2. Shri Jagannath Paharia, Dy. Minister for Comms. . . . . Vice-Chairman
3. Shri Nageshwar Dwivedi, MP Lok Sabha . . . . . Member
4. Shri Balakrishna Venkanna Naik, MP Lok Sabha . . . . . Member
5. Shri Ramsahai Pandey, MP Lok Sabha Member
6. Shri R.R. Sharma, MP Lok Sabha . Member
7. Shri Chakrapani Shukla, MP Rajya Sabha . . . . . Member
8. Shri Sudhakar Pandey, MP Lok Sabha Member
9. Shri Ramdhari Sinha 'Dinkar', Eminent Poet (Patna) . . . . . Member
10. Shri Akshaya Kumar Jain, editor 'Nav Bharat Times 'N. Delhi' . . . Member
11. Shri Prakashveer Shastri, New Delhi . Member
12. Shri S.N. Singh, Ex-Judge of High Court, (Allahabad) . . . . . Member
13. Shri Manohar Shyam Joshi, editor 'Hindustan weekly', New Delhi . . Member
14. Dr. Vijayendra Snatak, Prof. & Head of the Hindi Deptt. University of Delhi. Member
15. Shri Anjaneya Sharma, Gen. Secretary, Hindi Sanstha Sangh, New Delhi. . Member
16. Dr. R.D. Sharma, Delhi . . . Member
17. Shri Ashokji, editor 'Swatantra Bharat' Lucknow. . . . . Member
18. Shri Nazeer Banarasi, Pandy. Haveli, Varanasi, ... Member
19. Shri Ram Dayal Pandey, Bhagalpur, Bihar . . . . . Member
20. Shri Srikant Verma, Eminent Poet & Journalist, New Delhi.. . . . Member
21. Kumari Sadhna Gosh, New Delhi . Member
22. Shri Balashouri Reddy, Madras. . . Member
23. Dr. Rai Ram Charan Agarwal, Allahabad . . . . . Member
24. Secretary, Communications . . Member
25. Hindi Advisor , Government of India, New Delhi . . . . . Member
26. Sr. Member (Finance), P&T Board, New Delhi . . . . . Member
27. Sr. Member (Postal Operations) . - Member
28. Member (Admn.) . . . . . Member
29. Director (Hindi) . . . . . Member —Secretary.

II. *TENURE*

The tenure of the members of the Samiti shall ordinarily be three years calculated from Ist Oct, 1973.

III. *FUNCTIONS*

Functions of the Samiti will be to advise the Government on matters relating to the progressive use of Hindi for official purposes in the P &T Deptt.

The Samiti will have power to appoint up-samities and co-opt. additional members as may be necessary, for assisting it in the discharge of the function .

IV. *HEADQUARTERS*

The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to Prime Minister's Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat and all Ministries and Departments of Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D.N. RAMCHANDANI,
Member (Admn.)
P&T Board.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

Resolution

New Delhi, Dated the 25th Sept. 1973

No. 55(1)/53-*Con. Ind*:—The Govt . of India have decided to reconstitute the Panel for Ceramic Industry with the following composition for a period of two years from the date of issue of this Resolution:—

1. Shri M.K. Ganpule, ... Chairman
Managing Director,
M/s Parshuram Pottery Works Co., Ltd.,
Morvi Wankaner-12,
Gujarat.

2. Shri A. Samba Moorthy, . . . Member
Managing Director,
M/s Mysore Porcelains Ltd., . .
G.P.F. Premises,
Science Institute Post,
Bangalore.

3. Shri H. L. Somany, ... Member
M/s Hindustan Sanitory Ware & Industries Ltd.,
2, Wellesley Place,
Calcutta.

4. Shri G.K. Bhagat, ... "
Managing Director,
M/s Bengal Potteries Ltd., ... "
Thapar House,
25, Brabourne Road,
Calcutta.

5. Shri T.C.K. Pillai, . . "
General Manager,
M/s The Kerala Ceramics Ltd.,
P.O. Kundara,
Kerala.

6. Shri N. S. Sethuraman, ... "
Managing Director,
M/s W.S. Insulators of India Ltd.,
Dhun Bldg., 175/1,
Mount Road,
Madras-2.

7. Shri Ved Kapoor. . . . . "
Managing Director,
M/s Hitkari Potteries Pvt. Ltd.,
Chaudhary Bldg.,
'K' Block,
Connaught Circus,
New Delhi-1

8. Shri R.M. Mehra, ... "
M/s Bombay Potteries & Tiles Ltd.,
Pipe Road,
Kurla, (Bombay).

9. Shri Narandas Damodar, . . . "
Managing Director,
M/s Navbharat Potteries (P) Ltd.,
Tokershi Jivraj Wadi.
Zakaria Road,
Sewri (West),
Bombay-15.

10. Shri A.P. Sur, ... "
Director,
M/s Sur Industries (P) Ltd.,
163, Acharya Jagadish Bose Road,
Calcutta-14.

11. Shri D.P. Bahl, ... "
Geologist (Sr.)
Geological Survey of India,
27, Jawaharalal Nehru Road,
Calcutta-13.

12. Shri B.J.N.S.R. Anjaneyulu, . . "
Joint Director,
Industry & Minerals Division,
Planning Commission.
New Delhi.

13. Shri D. Das Gupta, . . . "
Director (Chemicals),
Indian Standards Institution,
Manak Bhavan,
9, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi-1.

14. Dr. B.M. Sada-lia . . . . "
Director,
(Glass & Ceramics),
Office of the Development Commissioner,
(Small Scale Industries)
New Delhi.

15. A representative of the Central Glass and Ceramic Research Institute, . . . "
Jadavpur.

16. A representative of Ministry of Commerce. . . . . "

17. Shri S.C. Joshi . . . Member Secretary.
Development Officer,
(Ceramics) M.D.G.T.D.,
New Delhi.

2. The functions of the Panel would be as under:—

(*i*) To make detailed assessment of raw material requirements and to explore ways and means of establishing agencies for standardised raw materials for ceramic industries and to make assessment of requirements of machinery/spare parts for the ceramic industries with a view to encouraging their production.

(*ii*) To suggest norms of efficiency with a view to eliminating wastage of fuel and raw materials, obtaining maximum production, improving quality and reducing costs.

(*iii*) To recommend measures for securing the fullor utilisation of the installed capacity and for improving the working of the industry particularly of the less efficient units.

(*iv*) To suggest measures for stepping up exports, especially for items which have a surplus capacity.

(*v*) To advise on establishing a suitable machinery for ensuring steady development in the field of training technical personnel.

(*vi*) To suggest ways and means for imports substitution of raw materials, spares and other connected equipment.

(*vii*) To advise on any matter relating to the industry on which the Central Government may request the Panel to advise and undertake enquires for the purpose of enabling the Panel to so advise.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A.B. SEN GUPTA,
Under Secretary

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY
(Office of Environmental Planning and Coordination)
RESOLUTION
New Delhi-110029. *the* 24*th September* 1973

No. DST/OEPC/35/73:—Director, Central Public Health Engineering Research Institute Nagpur, is appointed as a Member of the National Committee on Environmental Planning & Coordination constituted *vide* this Department's Resolution No. H. 11013/2/72-Admn. I, dated February 18, 1972.

ORDER

Ordered that copy of the Resolution be communicated to the Chairman and Members of the National Committee on Environmental Planning & Coordination.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

N.R. KRISHNAN,
Deputy Secretary

MINISTRY OF AGRICULTURE
(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)
New Delhi, the 22*nd Sept.*, 1973.

No. 19-34/71-*FY(P-1)/T-I*:—In continuation of this Ministry's Resolution No. F. 12-24/57-FY(D) dated the 1st April, 1958 and Notification No. 12-30/62-FY(D) dated the 26th March, 1964, and No. F 31-6/67 -FY(D) dated 14th February, 1968, 15th November 1968, 26th November, 1968 and 22nd August, 1970 the President is pleased to nominate the following persons as non-official members of the Central Board of Fisheries for a period of three years.

1. Shri N.N. Sheel, M.L.A.,
Seoni,
Chairman,

Fishermen Cooperative Society,
Seoni,
M.P.

2. Shri Chado Lal Satho,
Advocate,
48, Kandaro Bazar,
Lucknow, U.P.

3. Shri Bhuneshwar Rai, Ex. M.L.A.
Bihar Vidhan Sabha,
Gram—Nari
P.O. Bachhwara,
Distt. Monghyr,
Bihar.

4. Shri Prafulla Kumar Das, M.L.A.,
Joynagar,
Agartala P.O.
Tripura.

5. Shri D.L. Mech, M.L.A.
Purna Bazar,
P.O. Dhimapur,
Nagaland.

6. Shri Jagjit Singh M.A. (Econ.)
Village Kanjanwal,
Tehsil & District Ludhiana,
Punjab.

7. Dr. Roland Franklin,
Qualapati,
Shillong-2.,
Meghalaya.

8. Shri Kshirada Kanta Bishaya
Pisciculturist,
Uzanbazar,
Gauhati,
Assam.

9. Shri Takiy-Uddin,
President,
Jaipur Fisheries Cooperative Societies,
Jaipur,
Rajasthan.

10. Shri Shyama Nand Pandit, M.L.A.,
C/o Friends Stationery Mart,
Main Market,
Bilaspur,
Himachal Pradesh,

11. Col. Harry Nadon,
C/o Nedous Hotel,
Srinagar (Kashmir).

GODWIN ROSE,
Joint Secretary.

RESOLUTION

New Delhi, the 25th *September*, 1973.

No. 10-1/73-CAI:—The Government of India have decided to reconstitute with immedate effect the Indian Arecanut Development Council set up vide their Resolution No. 1-1/67-C.C.I. dated the 8th December, 1967. The reconstituted Council will be composed as follows:—

I. *CHAIRMAN* — A non-official to be nominated by the Government of India.

II. *VICE-CHAIRMAN* — Additional Secretary to the Government of India in the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture).

III. *MEMBERS* — *REPRESENTATIVES OF THE CENTRAL AND STATE GOVERNMENTS*

(A) *STATES* — One representative from each of the following State Governments in the Department of Agriculture to be nominated by the respective State Governments:—

(*i*) Kerala
(*ii*) Mysore
(*iii*) Assam.
(*iv*) Maharashtr
(*v*) West Benga
(*vi*) Tamil Nadu.
(*vii*) Meghalaya

(B) *CENTRAL GOVERNMENT*

(*i*) One representative of the Planning Commission
(*ii* One representative of the Ministry of Commerce.
(*iii*) Agricultural Commissioner with the Government of India.
(*iv*) The Project Coordinator (Coconut and Arecanut) & Director Central Plantation Crops Research Institutes Post Kudlu, Kararagod (Kerala).
(*v*) Joint Commissioner (Extension Training) or alternatively Director, Farm Information Unit as representative of the Directorate of Extension.

(C) *GROWERS' REPRESENTATIVES* — Nine growers' representatives to be nominated by the respective State Governments from the major Arecanut growing States, as follows:—

(*i*) Kerala	Two representatives.
(*ii*) Mysore	Two representatives.
(*iii*) Assam	One representative.
(*iv*) Maharashtra	One representative,
(*v*) West Bengal	One representative,
(*vi*) Tamil Nadu	One representative,
(*vii*) Meghalaya	One representative,

(D) *REPRESENTATIVES OF TRADERS* — Three representatives of traders to be nominated on the Council out of the candidates recommended by various recognised Chambers of Commerce and other Trade Bodies.

(E) *REPRESENTATIVES OF INDUSTRY* — Three respresentatives of Industry.

(F) *OTHERS* — Three Members of Parliament to be nominated by the Department of Parliamentary Affairs.

(G) Such additional persons as may, from time to time be nominated by the Government of India to represent interest(s) not already represented in the Council.

IV. *MEMBER SECRETARY* — The Director,
Directorate of Arecanut & Spices
Ministry of Agriculture
(Department of Agriculture)
KOZHIKODE.

V. *OBSERVERS* — (who would not be mombers of the Council but would be invariably invited to assist the Council in its deliberations).

1. Chairman, State Trading Corporation Ltd., Now Delhi or his representative.
2. Agricultural Marketing Adviser. Ministry of Agriculture (Deptt of Agriculture).

3. Joint Secretary (Finance) accredited to the Ministry of Agriculture (Deptts of Agriculture)

4. Economic & Statistical Adviser Ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture).

5. Director, Central Food Technological Research Institute, Bangalore.

6. Secretary, National Cooperative Developments Corporation, New Delhi,

7. Joint Commissioner (Export Promotion (Ministry of Agriculture (Deptt. of Agri.)

8. Joint Commissioner (CC) Department of Agriculture.

9. Deputy Secretary (Comps) Department of Agriculture.

10. Director (Horticulture) Department of Agriculture.

2. The Council will be an advisory body and will have the following functions:—

1. To consider the development programme formulated by Central and State Governments, review their progress from time to time and recommend measures for accelerating the progress;

2. to play a dynamic role in examining the problems of marketing, processing, storage and transprot of the commodities and in their trade and pricing and advising the Government thereon;

3. to bring suitable co-ordination between reasearch and development programme by formulation of the programmes and in advising research agencies about the quality needs of the market in the commodity;

4. to consider the needs of the export market and adjust the programmes of development suitably thereto; and

5. to perform such other functions designed to assist in the development of the commodity as may be assigned from time to time.

3. The Indian Arecanut Development Council will have powers to set up as necessary Standing Committee, Technical Committee and *Ad-hoc* Committee to look into issues of special importance and to co-opt members, where necessary., (such as representatives of Agricultural Universities and other special interests.)

4. The Council will meet periodically at important centres of trade and industry, in areas in which Arecanut is grown and will make recommendations to the Government of India.

5. The term of the Council will be up to 31-12-1976. Members of Parliament will cease to be the members of the Council as soon as they cease to be Members of Parliament. The term may be extended or curtailed by the Government of India if considered necessary.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments. Administrations of Union Territotries and Ministries of the Government of India. Planning Commission. Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha and Rajya Sabha Secretariat.

2. Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

B.C. KAPUR,
Additional Secretary

Department of Education

New Delhi, Dated the 26th September, 1973.

CORRIGENDUM

No. F. 15-25/72-*L.* 1:—The Resolution No. F. 15-25/72-L. 1 dated 5th May, 1972 of the Department of Culture, amended vide Department of Culture Corrigendum of even number dated 21st February, 1973, and 6th July, 1973 is further amended as under:—

Para 7 Substituted by the following:

The Committee should submit its report to the Government by 31st December, 1973.

ORDER

Ordered that copies of the Corrigendum to the Resolution be communicated to all members of the Committee, Chairman, University Grants Commission, All Vice-Chancellors, Directors, Central Hindi Directorate, Prime Minister's secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat and all State Governments, Ministries and Departments of the Government of India.

Ordered also that the Corrigendum to the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S.K. CHATURVEDI,
Deputy Secretary.

MINISTRY OF WORKS AND HOUSIFG

New Delhi, Dated the 26th September, 1973.

RESOLUTION

Subject : High Powered Board for the formulation and the implementation of the development plans for the Delhi Metropolitan Area and the National Capital Region-Constitution of a Committee.

No. 86(1)/69-*UDII*:—On the recommendation of the High Powered Board made at its meeting held on the 17th September, 1973, the Government of India have decided lo appoint a Committee to consider matters relating to planning of the Region, provision of funds, addition to the areas comprised in the Region and other connected matters. The Committee will make suitable recommendations to the High Powered Board on the subjects considered by it and will also have powers to co-opt members from the Ministries/Department/Offices of the Government of India and the State Governments when considered necessary.

2. The composition of the Committee will be as follows:—

1.	Union Minister of State for Works & Housing	Chairman
2.	Chief Minister of Uttar Pradesh or his representative	Member
3.	Chief Minister of Haryana or his representative.	Member
4.	Chief Minister of Rajasthan or his representative.	Member
5.	Chief Executive Councillor Delhi Metropolitan Council	Member
6.	Joint Secretary (Housing) Ministry of Works & Housing	Member-Secretary.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

P. PRABHAKAR RAO,
Joint Secretary.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973